Title : Regarding need to implement agreements regarding sharing of water produced from different hydro projects in Punjab to Rajasthan.

(vii) Need to implement agreements regarding sharing of water

produced from different hydro projects in Punjab to Rajasthan

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के साथ जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत के हिस्से का निर्धारण इण्डस जल संधि की शर्तों और सतलुज, व्यास और रावी नदियों के जल के हिस्से के संबंध में उत्तरवर्ती करारों के अनुसार राजस्थान ने पंजाब की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी के दावे दायर किए थे। जिनके अनुसार आनंदपुर साहिब, मुकेरियन, यूबीडीसी चरण द्वितीय थीन बांध एवं शाहपुर कांडी पांचों जल विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठापित 1154 मेगावाट की क्षमता से राजस्थान ने 575.54 मेगावाट का दावा जताया।

तदन्तर नांगल हाईडल चैनल से रोपड़ थर्मल विद्युत स्टेशन के लिए जल लेने की अनुमति देने के दृटिकोण से जायजा लेते समय दिनांक 10.5.1984 को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार दो निर्णय लिए गए। पहला भारत सरकार इन पांचों जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के लिए राजस्थान का दावा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय हेतु भेजेगी तथा दूसरा भारत सरकार, राजस्थान और हरियाणा को केंद्रीय विद्युत संयंत्रों के अनआबंटित हिस्से में से आबंटित किए गए हिस्सों से अतिरिक्त विद्युत आबंटित करने के दावों को भी ध्यान में रखेगी। इन दोनों ही निर्णयों की अनुपालना आज तक नहीं होने से राजस्थान को बिजली की कमी से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अतः अविलंब कार्यवाही की जाए।